कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद

आदेश क्रमांक: जी-1-96/ 292-95 दिनांक: 5/9/96

विषय:- प्राथमिक विद्यालय/विभाग को स्थाई मान्यता ।

---0---

एस0डी0 हाई स्कूल तिगाड़ं । फरीदाबाद । के प्राथमिकीकरण को 1-4-96 से प्रारंभकी पहली से पांचवीं तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1- यह संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा में किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्त सहायता की मांग नहीं करेगी तथा अपने ही खर्चे पर स्कूल चलायेगी ।

2- भविष्य में निर्धारित नार्म अनुसार विद्यालय में जे0बी0टी0 ट्रेण्ड अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।

3- विद्यालय में कार्यरत जे0बी0टी0 अध्यापकों के छः मास के वेतन की राशि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के नाम प्लेज्ड करायेंगे । यदि राशि प्लेज्ड न कराई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।

4- वेतन भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा ।

5- सभी जे0बी0टी0 अध्यापकों का सी0पी0 एफ0 की राशि स्थानीय बैंक में जमा कराई जाया करेगी ।

6- संस्था को शिक्षा की धारा 214 के अन्तर्गत रेग्युलेशन कोड की शर्तों को पूरा करना होगा । यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गलती पाई गई तो स्थाई मान्यता समाप्त कर दी जायेगी ।

7- सी0 डब्लयू0 यू0 एफ0, रैडक्रास तथा स्पोर्टस फण्ड की राशि का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा ।

8- विद्यार्थियों से फीस/फण्ड की राशि सरकारी दरों के अनुसार ली जायेगी । लड़कियों की पहली से पांचवीं तक की शिक्षा के लिये किसी प्रकार की फीस नहीं लेनी होगी ।

9- शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं वैधिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है ।

ओ0 पी0 शर्मा
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद ।

पृ0 क्रमांक: सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2- खण्ड शिक्षा अधिकारी बल्लभगढ़-2
3- सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया ।
4- अनुभाग अधिकारी स्थानीय ।

5/9/96
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,

Principal
S. D. Public High School
Tigaon (Faridabad)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद ।

आदेश क्रमांक : जी-2-95/ 1981-1985 दिनांक 25-10-96

विषय :- स्थाई मान्यता ।

1. 1

एस० डी० पब्लिक - हाई/ स्कूल तिगांव को कक्षा छटी से कक्षा आठवीं तक तुरन्त प्रभाव से स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है ।

1- सरकार से किसी प्रकार की ग्रान्ट इन एड के लिए मांग नहीं करेगा ।

2- समय-2 पर मांगी गई सूचना विभाग को भेजनी होगी और नियमों का पालन करना होगा ।

3- हरियाणा एजुकेशन कोड की धारा 214 का विशेष ध्यान रखना होगा ।

4- शिक्षा विभाग के आदेशों की अवेहलना करने पर मान्यता किसी भी समय रद्द की जा सकती है ।

एन० के० [illegible]
जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1- मुख्य अध्यापक, एस० डी० पब्लिक - हाई/ स्कूल तिगांव

2- प्रबन्धक, - [illegible]

3- उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी - फरीदाबाद

4- निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

5- सचिव, हरियाणा, विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद 3/11/96

Principal
S. D. Public High School
Tigaon (Faridabad)

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 12/74-97 वि (12) दिनांक चण्डीगढ़ 1997

एस डी पब्लिक हाई स्कूल तिगांव (फरीदाबाद) को दसवीं स्तर तक स्था
मान्यता दिनांक 1-4-99 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1 विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और ग्रान्ट इत्यादि
माँग नहीं करेंगे।

2 विद्यालय निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली हिदायतों की
पालना करेगा।

3 विद्यालय हरियाणा शिक्षा कोड़ की धारा 159 तथा 214 से 239 तक की
सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेगा।

4 अध्यापकों को वेतन ग्रास चैक द्वारा दिया जाये।

5 विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1999 की धारा 4 की सभी शर्तों को पू
करेगा तथा उनके जो भी रूल्ज बनाये जायेंगे उनका विद्यालय पालन करेगा।

6 नियुक्तियों में आरक्षण नीति का ध्यान रखेंगा।

सुरेश मित्तल
संयुक्त निदेशक विद्यालय
कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा ह

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक 2-9-99

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके पत्र क्रमांक स्टैनो /98/119
दिनांक 25-8-99 के संदर्भ में।

2 राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी (सिवाय फरीदाबाद)

3 अधिशासी सैकण्डरी शिक्षा (स्थानीय)

4 सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी।

5 अधिशासी अधिकारी (स्थानीय)

6 मुख्याध्यापक एस डी हाई स्कूल तिगांव (फरीदाबाद) को भेज कर लिखा जा
कि फीस फीस राशि निश्चित अवधि में जमा करवा कर निदेशालय को अनु
रिपोर्ट भेजें।

अधिशासी विद्यालय-1
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरिय

Principal
S. D. Public High School
Tigaon (Faridabad)